


भारतीय रिजर्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA
वेबसाइट : www.rbi.org.in/hindiWebsite : www.rbi.org.inई-मेल/email : helpdoc@rbi.org.in

संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई - 400 001

Department of Communication, Central Office, Shahid Bhagat Singh Marg, Fort, Mumbai - 400 001 फोन/Phone: 022 - 2266 0502

12 जून 2025

दिनांक 30 मई 2025, शुक्रवार तक भारत में अनुसूचित बैंकों की स्थिति का विवरण

(राशि ₹ करोड़ में)

		अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, लघु वित्त बैंकों और पेमेंट बैंकों सहित)			सभी अनुसूचित बैंक		
		31-मई-2024	16-मई-2025*	30-मई-2025*	31-मई-2024	16-मई-2025*	30-मई-2025*
I	बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं (क)						
	क) बैंकों से मांग और मीयादी जमाराशियां	283850.22	356142.91	365140.08	287722.27	362130.00	370999.12**
	ख) बैंकों से लिये गये ऋण	163095.32	112740.77	110567.25	162607.11	112743.77	110589.25
	ग) अन्य मांग और मीयादी देयताएं	76511.12	24239.07	25102.81	76730.29	24626.53	25497.28
II	अन्य के प्रति देयताएं (क)						
	क) जमाराशियां (बैंकों से ली गयी जमाराशियों से इतर)	21087206.37	22887587.39	23172559.90	21674968.79	23379288.75	23662791.19
	ि) मांग	2506492.91	2841915.80	2988913.58	2567382.20	2892062.41	3038372.32
	ii) मीयादी	18580713.47	20045671.59	20183646.31	19107586.59	20487226.34	20624418.87
	ख) ऋण @	738925.22	893728.27	895727.00	743952.27	898148.91	900193.89
	ग) अन्य मांग और मीयादी देयताएं	967360.63	999529.93	1030639.78	983261.53	1012437.72	1043774.13
III	भारतीय रिजर्व बैंक से लिये गये ऋण (ख)	71305.00	23081.00	6516.00	71305.00	23081.00	6516.00
	मीयादी बिलों और/या बचनपत्रों पर लिये गये ऋण			0.00			0.00
IV	नकदी	90895.20	85968.10	87179.07	93788.10	88775.09	89604.92
V	भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा रकम (ख)	951109.00	928136.28	956086.24	971105.00	947302.36	975236.91
VI	बैंकिंग प्रणाली के पास आस्तियां						
	क) अन्य बैंकों के पास शेष राशि						
	ि) चालू खातों में	8067.70	11102.45	11433.47	11788.66	13341.32	13852.12
	ii) अन्य खातों में	177529.41	233058.58	255330.58	228433.60	295070.10	318135.43
	ख) मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि	13028.13	17715.86	22812.64	33944.85	35986.40	40349.51
	ग) बैंकों को प्रदान किये गये अग्रिम (अर्थात् बैंकों से प्राप्त)	51405.37	39786.83	36147.80	54043.23	42530.76	38542.46
	घ) अन्य आस्तियां	112400.95	78068.21	78094.05	118837.65	82032.05	82801.64
VII	निवेश (बही मूल्य के अनुसार)	6183502.03	6684475.70	6706717.24	6391944.79	6838726.32	6861687.29
	क) केंद्रीय और राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों में+	6182472.76	6683947.50	6706168.85	6378531.37	6830276.71	6853140.24
	ख) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में	1029.27	528.19	548.39	13413.42	8449.61	8547.05
VIII	बैंक ऋण (अंतर बैंक अग्रिमों को छोड़कर)	16782881.64	18227711.87	18287596.63	17346530.02	18694728.44	18753960.67
	क) ऋण, नकदी ऋण और ओवरड्राफ्ट\$	16469359.59	17890954.33	17949974.58	17029508.57	18354554.88	18412998.48
	ख) खरीदी गयी देशी हुंडियां	64366.78	79832.65	79467.07	64372.00	81180.34	80743.89
	ग) भुनाई गयी देशी हुंडियां	208274.29	221259.31	222652.60	211137.16	222739.64	224160.09
	घ) खरीदी गयी विदेशी हुंडियां	16125.00	14020.55	13866.49	16347.72	14241.01	14063.24
	ड) भुनाई गयी विदेशी हुंडियां	24755.98	21645.03	21635.88	25164.57	22012.57	21994.97

नोट

- * ऐसे बैंकों के संबंध में अनंतिम आंकड़े शामिल किये गये हैं जो अपने अंतिम आंकड़े प्रस्तुत नहीं कर सके हैं।
- (क) मांग और मीयादी देयताओं में राज्य सरकार से किसी भी अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक द्वारा लिये गये उधार तथा ऐसे बैंकों के परिचालन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली किसी भी सहकारी समिति द्वारा ऐसे बैंक में रखी गयी आरक्षित निधि जमाराशियां शामिल नहीं हैं।
- ** इसमें अनुसूचित राज्य सहकारी बैंकों के पास रखी गयी सहकारी बैंकों की जमाराशियां शामिल नहीं हैं। इनको मद II(क) में शामिल किया गया है।
- @ रिजर्व बैंक, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक तथा भारतीय निर्यात-आयात बैंक से इतर।
- (ख) ये आंकड़े रिजर्व बैंक से भारत के अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा लिये गये उधार तथा रिजर्व बैंक के पास शेषराशि से संबंधित वे आंकड़े हैं जो रिजर्व बैंक के स्थिति विवरण में दर्शाये गये हैं। मीयादी बिलों और/या वचनपत्रों के एवज में लिये गये उधार भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 17(4)(सी) के अंतर्गत हैं। 11 जुलाई 2014 से एलएएफ लेनदेनों की लेखा पद्धतियों में परिवर्तन के बाद बैंक के तुलन पत्र और लाभ और हानि लेखे के फॉर्मेट की समीक्षा करने के लिए गठित मालेगाम समिति की सिफारिशों के अनुसार रेपो/मीयादी रेपो/एमएसएफ संबंधी लेनदेन "आरबीआई से उधार" के अंतर्गत प्रतिविवित हुए हैं।
- AE इसमें अनुसूचित राज्य सहकारी बैंकों द्वारा सहकारी बैंकों को दिये गये अग्रिम शामिल नहीं हैं। ये मद VIII(क) के अंतर्गत शामिल किये गये हैं।
- + इसमें खजाना बिल, खजाना जमाराशियां, खजाना वचत प्रमाणपत्र और डाक संबंधी देयताएं शामिल हैं।
- \$ इसमें अनुसूचित वाणिज्य बैंकों और अनुसूचित सहकारी बैंकों द्वारा सरकारी खाद्यान्न खरीद एजेंसियों (अर्थात्, भारतीय खाद्य निगम, राज्य सरकार और खाद्य सहायता संघ के अंतर्गत उसकी एजेंसियां) को दिए गए अग्रिम शामिल हैं।

निम्नलिखित तिथियों को बकाया खाद्यान्न ऋण			
(राशि ₹ करोड़ में)			
दिनांक	31-मई-2024	16-मई-2025	30-मई-2025
अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	40258.89	68078.36	70580.71
अनुसूचित सहकारी बैंक	50623.09	51972.99	51972.99

'बैंकिंग प्रणाली' अथवा 'बैंक' का तात्पर्य भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1) के नीचे दिये गये स्पष्टीकरण के खंड (ई) के उप-खंड (i) से लेकर (vi) में संदर्भित बैंक अथवा किसी अन्य वित्तीय संस्था से है।

वर्तमान पखवाड़ा को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की सं.135

अजीत प्रसाद
उप महाप्रबंधक (संचार)

प्रेस प्रकाशनी: 2025-2026/533